

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी— सुश्री गरिमा लाटा (आर ए एस)

दावा संख्या 33/2018

1. महेन्द्र
2. प्रमोद
3. धर्मेन्द्र
4. जितेन्द्र पुत्रगण पूर्णमल समस्त जाति माली निवासीगण उदयपुरवाटी रोड, समर्थपुरा स्कूल के पूर्व में सीकर

—वादीगण—

बनाम

1. पूर्णमल पुत्र गुलाबचन्द्र
2. आकाश पुत्र पूर्णमल समस्त जाति माली निवासीगण उदयपुरवाटी रोड, समर्थपुरा स्कूल के पूर्व में सीकर


—प्रतिवादीगण—

3. सीकर केन्द्री सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा पिपराली रोड सीकर जरिये मैनेजर
4. उप पंजीयक सीकर
5. तहसीलदार, सीकर

— औपचारिक प्रतिवादीगण —

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट
उपस्थित —वकील वादीगण— श्री महेश कुमार पटेल
वकील प्रतिवादीगण — श्री महेश कुमार जांगिड़

वाद वादीगण बरूरं राजीनामा स्वीकार किया जाकर कृषि भूमिगा खं. नं० 251, 271, 271/512 एवं 597/253 ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को समान रूप से 1/6-1/6 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि पर रहन है इसलिये तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि रहन मुक्त होने पर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 17.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी सीकर